R. 311/I/15
18.3.15

श्री .... अधि. द्वारा आज दि. 7.2.15 को प्रस्तुत
क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

07/2/15

सुधीर कुमार जैन पुत्र श्री रमेशचन्द्र जैन निवासी–भाईजी किराना की गली, महाकाली तिगड़ा चमेली चौक, सागर (म.प्र.)

...... आवेदक

विरूद्ध

1. निर्मल कुमार जैन पुत्र श्री सुशील कुमार जैन निवासी–जूनियर एलआईजी 11, गौतम नगर, पोस्ट गोविन्दपुरा, भोपाल (म.प्र.)
2. सतीश कुमार समैया पुत्र श्री भागचन्द्र जी समैया निवासी–अचलगढ़ तहसील मुंगावली जिला अशोकनगर (म.प्र.)
3. श्रीमती सुनीता समैया पत्नी श्री विजय समैया निवासी–चन्देरी जिला अशोकनगर (म.प्र.)
4. श्रीमती संध्या देयरिया पत्नी श्री आनन्द कुमार निवासी–बवाई जिला होशागांबाद
5. श्रीमती साधना जैन पत्नी श्री सुमत कुमार जैन निवासी–बाजीराव कटरा मिर्जापुर (उ.प्र.)
6. श्रीमती सुलभा जैन पत्नी श्री अमित कुमार जैन निवासी–मुम्बई (महाराष्ट)
7. श्रीमती सुशीला बाई जैन पत्नी श्री रमेशचन्द्र जैन निवासी–चमेली चौक, सागर (म.प्र.)

...... अनावेदकगण

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निग0 311–एक/15 जिला–अशोकनगर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	अभिभाषक तथा उभय पक्ष के हस्ताक्षर
18/3/15	उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया । 2/ यह निगरानी अपर आयुक्त के आदेश दिनांक 30.12.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है । उक्त आदेश द्वारा अपर आयुक्त ने मात्र वारिसानों को सूचना पत्र जारी करने के आदेश दिए है। वारिसानों को रिकार्ड पर वह अपने आदेश दिनांक 15.12.2014 द्वारा ले चुके है जिसे चुनौती नहीं दी गई है । वैसे भी वारिसानों को रिकार्ड पर लेने की कार्यवाही से निगराकार अपर आयुक्त के समक्ष सहमत रहा है । अतः निगराकार द्वारा प्रस्तुत इस निगरानी का कोई औचित्य स्पष्ट नहीं है । अब वह निगरानी के माध्यम से नई मांग नहीं रख सकता है । आवेदक को इस निगरानी में जो भी अन्य बिन्दु उठाए हैं उन पर द्वितीय अपील में अभी अपर आयुक्त द्वारा विचार किया जाना है । 3/ उपरोक्त परिप्रेक्ष्य में यह निगरानी औचित्यहीन होने से अग्राह्य की जाती है । **प्रशासकीय सदस्य**	